रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042024-253487 CG-DL-E-01042024-253487

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] No. 87] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2024/चैत्र 12, 1946 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2024/CHAITRA 12, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2024

आ.अ. 95(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंध के अनुसरण में, और इस निमित्त पूर्व में जारी की गई अपनी अधिसूचना के अधिक्रमण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र सरकार के परामर्श से, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारी को लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट करता है, जैसा कि उक्त तालिका के स्तंभ (1) में ऐसे अधिकारी के सम्मुख विनिर्दिष्ट है:-

तालिका

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	रिटर्निंग अधिकारी
1	2
1-लद्दाख	उपायुक्त, लेह

[सं. 434/एलडीके-एचपी/2024]

आदेश से.

बी. सी. पात्रा, सचिव

2359 GI/2024 (1)

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2024

O.N. 95(E).—In pursuance of the provision of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification issued earlier in this behalf, the Election Commission of India hereby designates, in consultation with the Government of UT of Ladakh, the Officers of the Government specified in column (2) of the table below as Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the UT of Ladakh, as specified in column(1) of the said Table against such officer:-

TABLE

Number & Name of Parliamentary Constituency	Returning Officer
1	2
1-Ladakh	Deputy Commissioner, Leh

[No. 434/LDK-HP/2024]

By Order,

B. C. PATRA, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2024

आ.अ. 96(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंध के अनुसरण में, और इस निमित्त पूर्व में जारी की गई अपनी अधिसूचना के अधिक्रमण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र सरकार के परामर्श से, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारी को लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट करता है, जैसा कि उक्त तालिका के स्तंभ (1) में ऐसे अधिकारी के सम्मुख विनिर्दिष्ट है:-

तालिका		
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग अधिकारी	
1	2	
1-लद्दाख	अपर उपायुक्त, लेह	
	अधीक्षक इंजीनियर पीडब्ल्यूडी (आरएण्डबी) कारगिल	

[सं. 434/एलडीके-एचपी/2024(1)]

आदेश से.

बी. सी. पात्रा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2024

O.N. 96(E).—In pursuance of the provision of sub-Section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification issued earlier in this behalf, the Election Commission of India hereby designates, in consultation with the Government of UT of Ladakh, Officers of Government as specified in column (2) of the table below as Assistant Returning Officers to assist the Returning

Officer of the Parliamentary Constituency in the UT of Ladakh, as specified in column(1) of the said Table against such officer:-

TABLE

Number & Name of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
	Additional Deputy Commissioner, Leh
1-Ladakh	Superintending Engineer PWD (R&B) Kargil

[No. 434/LDK-HP/2024(1)]
By Order,
B. C. PATRA, Secy.